न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–268/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/268)

1. श्रीमती घीसी देवी पत्नि कालू निवासी ग्राम नरसिंगपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी बाई उर्फ मुन्नी देवी पत्नि श्री सत्यनारायण निवासी काली माता मंदिर के पास, छावनी तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2021 उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 82/2021 (2021/305).

उपस्थितः–

1. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः–30.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2021 (2021/305). में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया/प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर के न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तु किया कि उसकी खातेदारी के खेत ग्राम नरसिंगपुरा में स्थित है जो खसरा संख्या 75 व 77 है तथा खसरा संख्या 75 में जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 78 जो सरकारी रास्ता है उससे खसरा संख्या 77 में होते हुए आगे खसरा संख्या 76 जो अपीलार्थीया का खसरा है, इसमें से होते हुए खसरा सख्या 75 में जाने हेतु रास्ता दिलाया जावे तथा खसरा संख्या 75 में जाने हेतु 15 फिट चौडे रास्ते की मांग की, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए, अपीलार्थी को नोटिस की व्यक्तिगत तामिल नहीं हुई तथा प्रकरण दिनांक 10.11.2021 को दर्ज करने के उपरांत आगामी पेशी 8.12.2021 को मुख्यालय ब्यावर हेतु नियत की, परंतु दिनांक 8.12.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्रावली ग्राम मेडिया पंचायत मुख्यालय पर नियत कर उसी दिवस को प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलार्थीया को आदेश दिनांक 8.12.2021 की जानकारी होने के पश्चात आदेश दिनांक 8.12.2021 से पीडित व व्यथित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2021 (2021/305). में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया कि खसरा संख्या 75 व 77 के पीछे की ओर नदी है जिस कारण से उक्त भूमि में से आना जाना सम्भव नहीं है, खसरा नम्बर 78 जो कि आम रास्ता है उसमें से खसरा नम्बर 77 से 75 में जाने हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 76 में से होकर गुजरता है। जिसके दर्शित करने हेतु प्रत्यर्थी प्रार्थी के द्वारा गूगल मैप के द्वारा खीची गई फोटो व इस प्रार्थना पत्र के जरिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि खसरा नम्बर 77 से 75 में जाने हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 76 से होकर गुजरता है इसलिए उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना प्रकरण के न्यायिक विनिश्चय के लिए अति आवश्यक है। उक्त दस्तावेज न्यायालय को प्रकरण के न्यायिक विनिश्चय में मदद करेंगे। उक्त दोनों दस्तावेजों को प्रकरण के न्यायिक विनिश्चय के लिए रिकार्ड पर लिया जाना अति आवश्यक है जिससे कि प्रकरण का न्यायिक निस्तारण हो सके। उक्त फोटोग्राफ यह दर्शित करते है कि खसरा संख्या 77 से होकर 75 में जाने हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 76 से ही होकर गुजरता है तथा इसके अतिरिक्त मौके पर कोई और अन्य रास्ता मौजूद नहीं है जिससे कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी आम रास्ता खसरा संख्या 78 से स्वयं के खेत खसरा संख्या 75 में जा सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि दिनांक 7.9.2022 को कुछ अजनबी व्यक्ति मौके पर नाप चौक करने लगे, जिस पर मालूम करने पर बताया कि उक्त भूमि बाबत आदेश हमारे पक्ष में हो गया, जिस पर प्रार्थीया ने जानकारी की तो दिनांक 8.12.2021 को इस भूमि बाबत रास्ते बाबत आदेश पारित करने की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थीया ने सलाह ली तथा प्रार्थीया को अविलंब निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी, जिस पर अभिभाषक की सलाह अनुसार प्रार्थीया द्वारा नकल प्राप्त कर अजमेर आकर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया 85 वर्षीय वृद्ध महिला है प्रत्येक कार्य हेतु अपने परिजनों पर निर्भर रहती है इस कारण उक्त समस्त कारणों के रहते विलंब हुआ है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने दिनांक 10.11.2021 को प्रकरण दर्ज करने के उपरांत आगामी दिनांक 8.12.2021 को मुख्यालय पर सुनवाई हेतु नियत किया था उक्त दिनांक को प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर की विदुंवार रिपोर्ट तलब होनी थी तथा उसके उपरांत की गई संभावित आपत्ति पर न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किए जाने का प्रावधान है परंतु इन समस्त विंदुओं से परे जाकर पत्रावली मुख्यालय के बजाय ग्राम पंचायत मेडिया में नियत कर अपीलार्थी के पुत्र का वहां होना वर्णित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने इस बिंदु को नजरअंदाज किया कि प्रत्यर्थी द्वारा चाहे गए रास्ते बाबत न्यायालय को खसरा संख्या 78 जो सरकारी रास्ता है उससे खसरा संख्या 77 की ठेट उत्तरी सीमा से होते हुए खसरा संख्या 76 में से होते खसरा संख्या 75 में रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित किया जाना फिर भी उचित माना जा सकता था परंतु रास्ते बाबत किसी स्कीम को स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया है वह विधि के विपरीत है। खसरा संख्या 76 व 66 दोनों ही खसरा नम्बरान अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा संख्या 76 व 66 मौके पर एक चक खेत है तथा एक ही खातेदार की जमीन है तथा खसरा सख्या 76 की दक्षिणी सींव व खसरा संख्या 66 की उत्तरी सीव पर रास्ता स्वीकृत करने से अपीलार्थी के खेत के बीचों बीच में से रास्ता काटने बाबत आदेश किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है तथा न्यायालय को खसरा सख्या 76 व 77 की एकदम उत्तरी सीमा से रास्ता प्रदान करने बाबत विचार किया जाना ही किसी प्रकार से विधिपूर्ण हो सकता था, इस बिंदु पर विचार नहीं कर अचानक पहली पेशी पर ही अत्यधिक जल्दबाजी दिखाते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने विधायिक द्वारा जो जिम्मेदारी उन पर आरोपित की है कि जिसमें मुआवजे की राशि तय करने तथा गणना करने का दायित्व उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर का है वह उनके द्वारा निर्वहन किए बिना ही तथा मुआवजे बाबत गणना किए बिना ही समस्त अधिकार अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को प्रत्योधित करने बाबत पारित कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं हैं। अपीलार्थीया 85 वर्ष की वृद्ध महिला है, बेसहारा है शारीरिक रूप से असक्षम है तथा अपीलार्थीया के पुत्र उसके कहने में नहीं है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने भी बिना किसी आधार के पुत्र की उपस्थिति वर्णित कर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया, इस कारण आदेश दिनांक 8.12.2021 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2021 (2021/305). में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज मिथ्या व सदभाविक नहीं होने से उनको कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अभिभाषक अपीलांट को यह प्रार्थना पत्र अपील बहस हेतु नियत होने पर ही प्रस्तुत करना था अपील में बहस हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बाद प्रस्तुत किया है जिससे हमे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त दस्तावेज जो गूगल मैप के द्वारा खींची गई फोटो है वो प्रकरण में किसी प्रकार से सहयोग नहीं यह स्पष्ट नहीं किया है। विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। जब सम्बन्धित मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है तो उक्त गूगल मैप के द्वारा खींची गई फोटो किस प्रकार प्रकरण में सहयोग करेगें। उपरोक्त प्रकरण का निर्णय करने में सहायक नहीं होने से कानूनन दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन किया कि प्रार्थीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय की जानकारी दिनांक 07.09.2022 को प्रथम बार होना बताया है जो कि कतई गलत तथ्य है। दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थीया का पुत्र बुद्धा चौधरी मौके पर उपस्थित हुआ था इसके अतिरिक्त उसने जवाब भी प्रस्तुत किया है हाल प्रार्थीया को तहसीलदार के द्वारा 19,660/– रूपए का डी0डी भी भिजवाया गया जिसको उन्होंने लेने से इंकार कर दिया जिससे भी प्रार्थीया को निर्णय की जानकारी हो चुकी थी। प्रार्थीया को प्रारंभ से ही निर्णय दिनांक 08.12.2021 की पूर्ण जानकारी थी। जानकारी होने के पश्चात भी प्रार्थीया के द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक एवं सदभाविक नहीं है, इसलिए प्रार्थीया की अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किया जाना न्याय संगत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम नरसिंगपुरा पटवार हल्का नरसिंगपुरा तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 75 रकबा 0.2185, 77 रकबा 0.3157 जो अप्रार्थीया की कब्जेशुदा चली आ रही है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 0.2833 चली आ रही है। आराजीयात के खसरा नम्बर 75 पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 76 व 77 के दक्षिणी दिशा में पगडंडीनुमा कदमी रास्ता सरकारी सिवायचक खसरा नम्बर 78 से मिलता है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी अविवादित सार्वजनिक रूप से उक्त भूमि की खरीद की दिनांक से इस्तेमाल करता चला आता रहा है। फसल की बुवाई व कटाई के समय अप्रार्थी मजबूरन अपने ट्रेक्टर बेलगाडी वाहन आदि को खसरा नम्बर 76 में से होकर ले जाते रहे हैं। दिनांक 03.11.2021 को प्रार्थी ने अप्रार्थी को उसकी भूमि में स्थापित कदमी रास्ते को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अप्रार्थीया को खसरा नम्बर 76 व 77 के दक्षिणी तरफ से 15 फिट चौडा एक नया रास्ता या मौजूदा कदमी रास्ते का विस्तार कर रिकार्डेड रास्ता

Scanned with CamScanner

प्रदान किया जावे। अतः अप्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 75 से आम सडक खसरा संख्या 78 में जाने के लिए सबसे छोटे व निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 76 व 77 के दक्षिणी तरफ 15 फिट रास्ता प्रदान कर उक्त रास्ते को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दिनांक 10.11.2021 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये नोटिस से तलब किया। दिनांक 08.12.2021 को पत्रावली कैम्प कोर्ट प्रशासन गॉवो के सगं अभियान शिविर स्थल ग्राम पंचायत मेडिया पर प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, ब्यावर से विवादित आराजी बाबत् मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवार हल्का द्वारा दिनांक 03.12.2021 को मौके पर जाकर तैयार की गई। मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 75 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 76–77 से होकर मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 78 सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 75 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 76 व 77 की भूमियॉ प्रभावित होगी। खसरा नम्बर 76 में 15 फिट चौड़े रास्ते हेतु 92.4X 16.05 वर्गफीट भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी तथा खसरा नम्बर 77 में से 15 फीट चौडे रास्ते हेतु 92.4X 16.05 वर्गफीट भूमि उपयोग में आयेगी। मौके पर खसरा नम्बर 76 व 77 सिंचित है।उक्त भूमियॉ प्रतिबंधित श्रेणी में नही हैं। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र बुद्धा उपस्थित था। इस प्रकार प्रार्थिया के पास आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने से अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् नये रास्ते के आदेश दिये गये है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवातिदत भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण उन्हें न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख को रिकार्ड अपील पर लिये जाते है।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है व अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

12. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यादर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 75, 77 में आने–जाने के लिए रास्ते का अभाव है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 75 पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 76–77 के दक्षिणी दिशा से पगडंडीनुमा कदमी रास्ता सरकारी सिवायचक खसरा नम्बर 78 से मिलता है।इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 75 से आम सड़क खसरा नम्बर 78 में जाने के लिए सबसे छोटे व निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 76–77 के दक्षिणी तरफ से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान कर उक्त रास्ते का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का न्यायोचित आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.11.2021 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी संख्या 01 को नोटिस जारी किये जाने व तहसीलदार, ब्यावर से बिन्दुवार रिपोर्ट तलब करने के आदेश देते हुए आगामी पेशी दिनांक 08.12.2021 नियत की गई तथा दिनांक 08.12.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जो नोटिस जारी किया गया था उसमें कैम्प कोर्ट प्रशासन गॉवों के संग अभियान शिविर स्थल ग्राम पंचायत मेड़िया में पत्रावली पेश की गई तथा उसी दिन ही प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस में कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना अंकित नहीं है फिर भी पत्रावली कैम्प कोर्ट में दिनांक 8.12.2021 पेश की गई। द्वितीय प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर की बिदुंवार रिपोर्ट तलब होनी थी तथा उसके उपरांत की गई संभावित आपत्ति पर न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किए जाने का प्रावधान है परंतु इन समस्त बिंदुओं से परे जाकर पत्रावली मुख्यालय के बजाय ग्राम पंचायत मेडिया में नियत कर अपीलार्थी के पुत्र का वहां होना वर्णित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जो विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। तृतीय यह है कि खसरा संख्या 76 व 66 दोनों ही खसरा नम्बरान अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा संख्या 76 व 66 मौके पर एक चक खेत है तथा एक ही खातेदार की जमीन है तथा खसरा सख्या 76 की दक्षिणी सींव व खसरा संख्या 66 की उत्तरी सीव पर रास्ता स्वीकृत करने से अपीलार्थी के खेत के बीचों बीच में से रास्ता काटने बाबत आदेश भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा सख्या 76 व 77 की एकदम उत्तरी सीमा से रास्ता प्रदान करने बाबत विचार किया जाना ही किसी प्रकार से विधिपूर्ण हो सकता था, इस बिंदु पर विचार नहीं कर अचानक पहली पेशी पर ही अत्यधिक जल्दबाजी दिखाते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है। हितबद्ध खातेदारान अपीलांट आदि को मौका रिपोर्ट प्रस्ताव बनाने से पूर्व मौका मुआयना करने विवादित स्थल पर उपस्थित होने के बाबत कोई सूचना नहीं दी अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन करने के उपरांत भी अपीलांट को अपनी प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया। जिससे समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रतित होता है। उपरोक्त विवेचनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त करें, तहसीलदार से मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट तलब करें। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को इसकी सूचना दी जावें तथा मौके पर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उक्त आपत्ति का मौके पर निस्तारण किया जाकर, मौका रिपोर्ट तैयार की जावें तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत पुनः निर्णय पारित करें।

13. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2021 (2021/305). में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किया जाता व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रकरण में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त करें, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करें। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को इसकी सूचना दी जावें तथा मौके पर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उक्त आपत्ति का मौके पर निस्तारण किया जाकर, मौका रिपोर्ट तैयार की जावें तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत पुनःगुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner